आच्छादित) तथा सुरक्षा व्यवस्था के साथ वाणिज्यिक गतिविधियां की जाती हों;

(47) **''खुली जगह''** से अभिप्रेत है, मुक्ताकाश छोड़ा गया, भू खण्ड का कोई अभिन्न भागरूप कोई क्षेत्र;

(48) **''मुण्डेर (पेरापेट)''** से अभिप्रेत है, किसी भवन अथवा किसी छत के किनारे के साथ-साथ निर्मित कोई नीची दीवार अथवा जंगला (रेलिंग);

(49) **''वाहन स्थान तल (पार्किंग फ्लोर)''** से अभिप्रेत है, वाहन स्थान के रूप में उपयोग के लिये डिजाइन किया गया कोई तल;

(50) **''वाहन स्थान''** से अभिप्रेत है, वाहन क्षेत्र को किसी सड़क अथवा किसी गली से संयोजित करने वाला तथा वाहन को प्रवेश करने तथा निकलने देने वाला, किसी वाहन को चलाने के मार्ग के साथ-साथ, वाहनों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त आकार वाला बंद अथवा खुला, आच्छादित अथवा खुला कोई क्षेत्र;

(51) **''अनुज्ञा''** से अभिप्रेत है, विकास कार्य अथवा भवन निर्माण करने तथा उसे इन नियमों द्वारा विनियमित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा लिखित में कोई प्राधिकार, जो कि अन्यथा विधि विरुद्ध हो जाएगा;

(52) **''कुर्सी (प्लिंथ)''** से अभिप्रेत है, आसपास की भूमि की सतह तथा भूमि के ठीक ऊपर तल की सतह के मध्य संरचना का भाग;

(53) **''कुर्सी क्षेत्र''** से अभिप्रेत है, कुर्सी स्तर पर मापा गया निर्मित आच्छादित क्षेत्र;

(54) **''पोडियम''** से अभिप्रेत है, भूमि के ऊपर आच्छादित वाहन स्थान जो कि स्वीकार्य भू-आच्छादित क्षेत्र के ऊपर तथा उसके परे बनाया जा सकता है परंतु जो भूखण्ड के विहित न्यूनतम खुले स्थानों पर विस्तारित नहीं होगा;

स्पष्टीकरण:- ऐसा वाहन स्थान स्टिल्ट कहलाएगा यदि यह भू-आच्छादन की सीमाओं के भीतर है।

(55) **''पोर्च''** से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान जो लिंटल स्तर अथवा स्लेब स्तर अथवा पोडियम स्तर पर प्रास बाहर निकले हुए भाग (केंटीलीवर्ड प्रोजेक्शन) अथवा साधारण तौर पर अवलंबित संरचना द्वारा आच्छादित हो सकेगा जो कि तीन ओर से खुला हो तथा वाहनों को रखने, यात्रियों को चढ़ाने/उतारने के लिए उपयोग करने हेतु आशयित हो। ऐसा क्षेत्र भू-आच्छादित क्षेत्र तथा तल क्षेत्र अनुपात के रूप में नहीं किया जाएगा;

(56) **''निजी गैरेज''** से अभिप्रेत है, कोई भवन जो 25 वर्ग मीटर से अधिक न हो, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी या उसका कोई भाग जो निजी स्वामित्व के किसी भी भांति के यन्त्र चलित मोटर वाहनों या अन्य वाहनों को खड़ा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है (निजी स्वामित्व में किसी भी प्रकार के);

(57) **''सार्वजनिक गैरेज''** से अभिप्रेत है, निजी गैरेज से भिन्न कोई भवन या उसका भाग जो किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों या अन्य वाहनों की मरम्मत, सुधार, किराये पर देने, बेचने या रखने या खड़े करने के लिए बनाया या प्रयुक्त किया गया हो;

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग